राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )परावि/प्र.2/प.रा.म.क.संघ/ज्ञापन/18/पार्ट/675 जयपुर दिनांक: 1/2/2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषयः– ग्राम विकास अधिकारी के चार्ज के संबंध में।

विभागीय परिपत्र दिनांक 05.10.2018 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज समीप की पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को ही दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 24621/2018 आशाराम मीना व अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने आदेश दिनांक 12.11.2018 द्वारा विभागीय परिपत्र दिनांक 05.10.2018 की पालना पर याचिकाकर्ता की सीमा तक ही स्थगन आदेश जारी किया गया है।

इस संबंध में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 356 दिनांक 04.02.2019 द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश में वर्णित शर्तो, निबंधनो के अनुसार ही पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये थे।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्थगन आदेश दिनांक 12.11.2018 माननीय न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 24621/2018 आशाराम मीना व अन्य में कुल 40 याचिकाकर्ताओं (सूची संलग्न) के संबंध में ही प्रभावी रहेगा। शेष पंचायतो के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 05.10.2018 यथावत लागू रहेगा।

संलग्नः– याचिकाकर्ता –सूची

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त शासन सचिव (विधि) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 24621/2018 आशाराम मीना व अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष विभागीय पक्ष रखा जाकर अग्रिम कार्यवाही करावे।

1/2/2019

संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त